

प्रति,

श्री अशोक गंगुली,
अनुभाष, उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा है,

मेडरी,
तेन्दुल बोर्ड आफ़ मेडरी एजुकेशन,
2/19, साँ बिहार, अतारी रोड,
दारेयागाँ, नई दिल्ली ।

दिनांक : 21 जून, 1991

विषय: विश्व भारती पब्लिक स्कूल, अरुण विहार, नोएडा, गाजियाबाद को अनापत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

xx-xx-xx

प्रति,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह बहने का निर्देश हुआ है कि विश्व भारती पब्लिक स्कूल, अरुण विहार, नोएडा, गाजियाबाद को तेन्दुल बोर्ड आफ़ मेडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने केन्द्रित राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनापत्ति नहीं है ।

1क। सामान्य प्रतिबन्ध :

- 11। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 12। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान भेद्यो और बिस्डे स्कूल निर्माण आय वर्ग के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / केरिब शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 13। संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
- 14। संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे । संस्था में शिक्षण तथा शिक्षात्तर कार्यालयों को राजकीय क्वालिटी प्राप्त शिक्षण विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 15। राज्य सरकार अध्या शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा ।
- 16। विद्यालय में अनुपातन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा

Principal
PRINCIPAL
VISHWA BHARATI PUBLIC SCHOOL
ARUN VIHAR SECTOR-20,
NOIDA-201301

1.1] विशेष प्रतिबन्ध :

- 111] विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय समय पर निश्चि-
नितर उत्तरा नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 120] विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिये उचित आकार के कक्षा-
कक्ष, टोयकैबिण्ड विषय कक्ष, दौ प्रयोगशाला कक्ष, तथा चार प्रशासनिक
कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
- 131] कर्मचारियों का सेवा शर्तें धनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य
सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 141] विद्यालय का लेख जोधा नियमित प्रुपत्री/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 151] संस्था अपनी शुल्क की दर को गाजियाबाद में चल रहे अन्य सहायता
प्राप्त विद्यालयों के समान रहेगी ।
- 2- उत्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी समय उत्त
शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति
प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

शुद्धीय

अशोक मांगली
अनु सचिव ।

संख्या: 167/1111/15-1131/91 तदतिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उ०१०, सा०-२ अनुभाग, इलाहाबाद ।
 - 2- निरीक्षक, जंगल भारतीय विद्यालय, उ०१०, लखनऊ ।
 - 3- प्रबन्धक, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, अरुण बिहार, नोएडा, गाजियाबाद
 - 4- उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
 - 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।

अशोक मांगली
अनु सचिव ।

Venkataditya
PRINCIPAL

VISHWA-BHARATI PUBLIC SCHOOL
ARUN VIHAR SECTOR
NOIDA-201301